

वस्त्र मंत्रालय
मांग संख्या 98
वस्त्र मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3349.12	30.09	3379.21	4362.53	26.81	4389.34	3424.53	18.56	3443.09	4373.70	19.15	4392.85
वसूलियां	-70.06	...	-70.06
प्राप्तियां
निवल	3279.06	30.09	3309.15	4362.53	26.81	4389.34	3424.53	18.56	3443.09	4373.70	19.15	4392.85
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	36.95	...	36.95	49.50	2.00	51.50	42.51	1.20	43.71	49.00	2.00	51.00
2. वस्त्र आयुक्त	55.53	...	55.53	63.16	0.18	63.34	55.00	0.61	55.61	61.00	0.66	61.66
3. जूट आयुक्त	11.48	...	11.48	12.30	0.10	12.40	13.00	0.15	13.15	15.40	0.43	15.83
4. विकास आयुक्त (हथकरघा)	91.96	24.24	116.20	103.46	21.50	124.96	100.45	15.05	115.50	100.50	14.50	115.00
5. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)	101.37	...	101.37	117.61	2.00	119.61	96.81	1.55	98.36	101.00	1.56	102.56
6. निर्यात प्रोत्साहन अध्ययन और गतिविधियां	7.32	...	7.32	5.00	...	5.00	59.00	...	59.00	5.00	...	5.00
7. सीओपी और सीओपी जूट	0.08	...	0.08	0.14	...	0.14	0.18	...	0.18	0.18	...	0.18
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	304.69	24.24	328.93	351.17	25.78	376.95	366.95	18.56	385.51	332.08	19.15	351.23
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
8. संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस)	674.50	...	674.50	900.00	...	900.00	675.00	...	675.00	675.00	...	675.00
9. भारतीय कपास निगम द्वारा मूल्य समर्थन स्कीम के तहत कपास की खरीद	678.99	...	678.99	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	600.00	...	600.00
राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम												
10. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	152.51	...	152.51	200.00	...	200.00	190.00	...	190.00	200.00	...	200.00
राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम												
11. राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)	168.78	5.85	174.63	237.33	1.00	238.33	155.49	...	155.49	206.00	...	206.00
12. व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास कार्यक्रम - हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर	2.93	...	2.93	40.00	...	40.00	15.70	...	15.70	30.00	...	30.00
जोड़-राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम	171.71	5.85	177.56	277.33	1.00	278.33	171.19	...	171.19	236.00	...	236.00
ऊनी वस्त्र विकास												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
13. एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम	6.38	...	6.38	27.11	...	27.11	13.50	...	13.50	20.00	...	20.00
रेशम वस्त्र विकास												
14. केन्द्रीय रेशम बोर्ड	874.99	...	874.99	917.77	...	917.77	875.00	...	875.00	900.00	...	900.00
जूट उद्योग का विकास												
15. जूट क्षेत्र के विकास हेतु योजना	30.00	...	30.00	100.00	...	100.00	75.00	...	75.00	50.00	...	50.00
16. बाजार प्रचालन के लिए भारतीय जूट निगम को सस्मिडी	27.91	...	27.91	42.00	...	42.00	28.00	...	28.00	30.00	...	30.00
जोड़-जूट उद्योग का विकास	57.91	...	57.91	142.00	...	142.00	103.00	...	103.00	80.00	...	80.00
वस्त्र अवसंरचना												
17. एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना	30.75	...	30.75	60.00	...	60.00	26.00	...	26.00	30.00	...	30.00
18. वस्त्र समिति को सहायता	59.79	...	59.79
जोड़-वस्त्र अवसंरचना	90.54	...	90.54	60.00	...	60.00	26.00	...	26.00	30.00	...	30.00
अनुसंधान और क्षमता निर्माण												
19. टैक्सटाइल हेतु उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम	7.08	...	7.08	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
20. एकीकृत कौशल विकास योजना	23.27	...	23.27	115.00	...	115.00	115.00	...	115.00	166.00	...	166.00
21. वस्त्र अनुसंधान एवं विकास	7.33	...	7.33	0.02	...	0.02	20.50	...	20.50
22. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	24.10	...	24.10
23. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन	36.15	...	36.15	450.00	...	450.00	170.00	...	170.00	375.00	...	375.00
24. टैक्सटाइल क्लस्टर विकास योजना	66.81	...	66.81	141.54	...	141.54	70.00	...	70.00	100.00	...	100.00
जोड़-अनुसंधान और क्षमता निर्माण	164.74	...	164.74	711.56	...	711.56	380.50	...	380.50	646.00	...	646.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना												
25. पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियो-टेक्सटाइल्स के उपयोग की योजना	2.53	...	2.53	1.37	...	1.37
26. पीएम-एमआईटीआरए	200.00	...	200.00	52.30	...	52.30	300.00	...	300.00
27. हथकरघा संरक्षण और हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 कार्यान्वयन स्कीम	5.00	...	5.00	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00
28. खुदरा सामग्री आपूर्ति योजना	139.70	...	139.70	160.00	...	160.00	160.00	...	160.00	172.17	...	172.17
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	3019.50	5.85	3025.35	3602.78	1.00	3603.78	2654.87	...	2654.87	3866.17	...	3866.17
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामकीय निकाय												
29. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	104.00	...	104.00	103.13	...	103.13	98.67	...	98.67
30. वस्त्र समिति को सहायता	56.55	...	56.55	56.55	...	56.55	51.77	...	51.77
जोड़-सांविधिक और विनियामकीय निकाय	160.55	...	160.55	159.68	...	159.68	150.44	...	150.44
स्वायत्त निकाय												
31. टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन और आईजेआईआरए	17.00	...	17.00	17.00	...	17.00	17.00	...	17.00	17.00	...	17.00
32. भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी)	6.07	...	6.07	6.19	...	6.19	6.19	...	6.19	6.00	...	6.00
33. सरदार बल्लभभाई पटेल टैक्सटाइल प्रबंधन संस्थान को सहायता	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-स्वायत्त निकाय	23.57	...	23.57	23.69	...	23.69	23.69	...	23.69	23.50	...	23.50
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
34. राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम	0.01	0.01
35. बर्ड जूट निर्यात निगम	0.01	0.01
36. ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.01	0.01
37. पीएसयू को सहायता	222.84	...	222.84	217.84	...	217.84	0.01	...	0.01
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	222.84	0.03	222.87	217.84	...	217.84	0.01	...	0.01
अन्य												
38. कपास और कपास सलाहकार समिति के अंतरराष्ट्रीय संस्थान को योगदान	1.36	...	1.36	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50
39. वास्तविक वसूलियां	-70.06	...	-70.06
जोड़-अन्य	-68.70	...	-68.70	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	-45.13	...	-45.13	408.58	0.03	408.61	402.71	...	402.71	175.45	...	175.45
कुल जोड़	3279.06	30.09	3309.15	4362.53	26.81	4389.34	3424.53	18.56	3443.09	4373.70	19.15	4392.85
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. ग्राम एवं लघु उद्योग	1530.78	...	1530.78	1696.96	...	1696.96	1509.76	...	1509.76	1631.04	...	1631.04
2. उद्योग	1712.16	...	1712.16	2494.56	...	2494.56	1758.51	...	1758.51	2581.03	...	2581.03
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	36.12	...	36.12	49.50	...	49.50	42.51	...	42.51	49.00	...	49.00
4. ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	30.09	30.09	...	24.50	24.50	...	16.60	16.60	...	16.06	16.06
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय	2.28	2.28	...	1.96	1.96	...	3.09	3.09
6. उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	0.03	0.03
जोड़-आर्थिक सेवाएं	3279.06	30.09	3309.15	4241.02	26.81	4267.83	3310.78	18.56	3329.34	4261.07	19.15	4280.22
अन्य												
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	121.51	...	121.51	113.75	...	113.75	112.63	...	112.63
जोड़-अन्य	121.51	...	121.51	113.75	...	113.75	112.63	...	112.63
कुल जोड़	3279.06	30.09	3309.15	4362.53	26.81	4389.34	3424.53	18.56	3443.09	4373.70	19.15	4392.85

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **वस्त्र आयुक्त:** वस्त्र आयुक्त विनियामक आदेशों को क्रियान्वित करता है, विद्युत करघा सेवा केंद्रों का संचालन करता है, संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) और कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन को मॉनीटर करता है, वस्त्र आदि के डाटाबेस का रख-रखाव करता है।

3. **जूट आयुक्त:** पटसन आयुक्त भारत में पटसन उद्योग के विकास की देखभाल करता है और पटसन वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1956 और पटसन (अनुज्ञा एवं नियंत्रण) आदेश, 1961 का संचालन भी करता है जिसे अब समामेलित कर दिया गया है और जिसे पटसन एवं पटसन वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 2000 के रूप में जाना जाता है।

4. **विकास आयुक्त (हथकरघा):** व्यय, विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय से संबंधित स्थापना व्यय, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय और अन्य विविध व्यय से संबंधित है।
5. **विकास आयुक्त (हस्तशिल्प):** यह व्यय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय से संबंधित स्थापना व्यय, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय और अन्य विविध व्यय से संबंधित है।
6. **निर्यात प्रोत्साहन अध्ययन और गतिविधियां:** इसका कार्य निर्यात को बढ़ावा देना, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्रों में अनुसंधान, परामर्श, वस्त्र और कपड़ा मशीनरी के लिए मानक स्थापित करना, प्रयोगशालाओं की स्थापना और डेटा संग्रह करना है।
7. **सीओपी और सीओपी जूट:** भुगतान आयुक्त एवं जूट कंपनियों के भुगतान आयुक्त के व्यय की स्थापना।
8. **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस):** यह योजना पात्र मशीनरी के लिए एकवारगी पूंजी सब्सिडी के साथ वस्त्र उद्योग के संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करती है।
9. **भारतीय कपास निगम द्वारा मूल्य समर्थन स्कीम के तहत कपास की खरीद:** भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को समर्थन मूल्य अभियान चलाने का अधिदेश दिया गया है। जब कभी कपास का बाजार मूल्य कम होता है/न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बराबर होता है, तो सीसीआई एमएसपी पर समर्थन मूल्य अभियान चलाता है और कपास की खरीद करता है। समर्थन मूल्य अभियान के कारण हानि, यदि कोई, होती है, तो सरकार द्वारा सीसीआई को प्रतिपूर्ति की जाती है।
10. **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम:** योजना में राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना, यार्न आपूर्ति योजना, व्यापार सुविधा केंद्र एवं शिल्प संग्रहालय, सीएचसीडीएस-हथकरघा मेगाक्लस्टर, बुनकर सेवा केंद्र और अन्य हथकरघा कार्यक्रम शामिल होते हैं।
11. **राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी):** हथकरघा बुनकरों और हथकरघा क्षेत्र के कारीगरों का विकास।
12. **व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास कार्यक्रम - हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर:** हस्तशिल्प मेगाक्लस्टर की स्थापना हेतु है।
13. **एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम:** ऊन उद्योग एवं ऊन उत्पादकों को सहायता मुहैया कराने के लिए, गुणवत्ता के संबंध में उत्पाद एवं तकनीक को अध्ययन करने के लिए, परिशोधन, कार्बनीकरण, धुनाई, रंगाई, कटाई, बुनाई और मौजूदा मशीनों/संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए ऊन परिशोधन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, लद्दाख क्षेत्र में पाशमीना ऊन का उत्पादन बढ़ाने के लिए, ऊन उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए और ऊन उत्पादकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए और ऊन विकास बोर्ड से संबंधित प्रशासनिक व्यय के लिए।
14. **केन्द्रीय रेशम बोर्ड:** केन्द्रीय रेशम बोर्ड रेशम के विकास में सहायता प्रदान करता है।
15. **जूट क्षेत्र के विकास हेतु योजना:** इस योजना में राष्ट्रीय जूट बोर्ड के प्रशिक्षण / विकास, बाजार संवर्धन और विकास गतिविधियों के लिए प्रावधान है। यह व्यय पहले जूट उपकर संग्रह के निपटान किए गए भुगतान से पूरा किया जा रहा था।
16. **बाजार प्रचालन के लिए भारतीय जूट निगम को सब्सिडी:** एमएसपी अभियान चलाने के लिए जेसीआई को सहायता
17. **एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना:** पर्यावरण अनुकूल प्रसंस्करण मानकों तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए वस्त्र उद्योग को सुविधा प्रदान करना
18. **वस्त्र समिति को सहायता:** इसके कार्यों में निर्यातों को बढ़ावा देना, तकनीकी एवं आर्थिक क्षेत्रों में अनुसंधान, परामर्श, वस्त्र एवं वस्त्र मशीनरी के लिए मानकों को स्थापित करना, प्रयोगशालाओं की स्थापना और आंकड़ों का संग्रहण आदि शामिल हैं।
19. **टैक्सटाइल हेतु उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:** वस्त्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना एमएमएफ परिधान, एमएमएफ कपड़े और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है।
20. **एकीकृत कौशल विकास योजना:** कौशल विकास के लिए वस्त्र एवं संबद्ध क्षेत्रों में लोगों को प्रशिक्षित करना।
21. **वस्त्र अनुसंधान एवं विकास:** वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना और वस्त्र अनुसंधान संघों (टीआरए), संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
22. **राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान:** निफ्ट पेशेवर लोगों को फैशन उद्योग के लिए विकसित करने हेतु विभिन्न पूर्णअवधि के डिग्री/डिप्लोमा तथा अंशकालिक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है।
23. **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन:** तकनीकी वस्त्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए।
24. **टैक्सटाइल क्लस्टर विकास योजना:** टैक्सटाइल क्लस्टर विकास योजना
25. **पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियो-टेक्सटाइल्स के उपयोग की योजना:** सामान्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में अवसरचना के विकास के लिए जैव-टेक्सटाइल का उपयोग करना
26. **पीएम-एमआईटीआरए:** पीएम - मित्र कपड़ा थ्रमिंको के कौशल विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना है।
27. **हथकरघा संरक्षण और हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 कार्यान्वयन स्कीम:** हथकरघा संरक्षण और हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के कार्यान्वयन के लिए योजना।
28. **खुदरा सामग्री आपूर्ति योजना:** कच्चे माल की आपूर्ति योजना एनएचडीपी के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को सभी प्रकार के धागे उपलब्ध कराने के लिए है।

29. **राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान:** राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
30. **वस्त्र समिति को सहायता:** वस्त्र समिति को सहायता
31. **टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन और आईजेआईआरए:** कपड़ा अनुसंधान संघों (टीआरए) संस्थानों आदि के आवर्ती व्यय के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए जूट उद्योग अनुसंधान संघ के प्रशासनिक व्यय।
32. **भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी):** कालीन प्रौद्योगिकी और संस्थागत खर्चों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी)।
33. **सरदार बल्लभभाई पटेल टेक्सटाइल प्रबंधन संस्थान को सहायता:** सरदार बल्लभभाई पटेल वस्त्र प्रबंधन संस्थान को सहायता।
34. **राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम:** सरकार की खाद्य प्रसंस्करण एजेंसियों को आपूर्ति हेतु जूट के सामानों (बोरों) के विनिर्माण के कारोबार का संचालन करना
35. **बर्ड जूट निर्यात निगम:** जूट फैब्रिक की एक विनिर्माण इकाई।
36. **ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड:** वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत एक वीआईएफआर संदर्भित कंपनी।
37. **पीएसयू को सहायता:** वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत पीएसयू के कर्मचारियों के लिए वीआरएस के कार्य प्रचालन और अनुदान को समाप्त करने के लिए
38. **कपास और कपास सलाहकार समिति के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान को योगदान:** इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन एंड कॉटन एडवाइजरी कमेटी में योगदान।